न्यायालय : आशुतोष खेतान, अपर सत्र न्यायाधीश – तृतीय, नवादा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 180/2025

(पकरीबरावाँ थाना कांड संख्या – 418/2024 से उद्भूत)

अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352, 109, 3(5) बी0एन0एस0

अभिषेक कुमार बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21.01.2025	01. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **अभिषेक कुमार** की ओर से पकरीबरावाँ थाना कांड संख्या– 418/2024 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352, 109/3(5) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। आवेदन की प्रति अभियोजन को दी गयी है। 02. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरीशंकर प्रसाद सिंह जमानत आवेदन को संचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उनके पिता मतलू पासवान के द्वारा पलटा वाद पकरीबरावाँ थाना कांड संख्या– 422/2024 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352/3(5) बी0एन0एस0 तथा 3(i)(r), 3(i)(s) SC/ST Act वर्तमान वाद के सूचक के पुत्र मंटु यादव एवं उसके नजदीकी रिश्तेदारों के विरूद्ध दाखिल किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध धारा 109 बी0एन0एस0 आकर्षित नहीं होता है तथा अन्य धाराएं जमानतीय हैं। वास्तव में सच्चाई यह है कि आवेदक के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था तथा उन्हें बचाने के क्रम में आवेदक के साथ भी बुरी तरह से मारपीट किया गया और उन्होंने वर्त्तमान अभियोजन पक्ष के मनमानी का विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें फंसाया गया है। पलटा वाद के घटना का समय इस वाद के घटना के पूर्व का है। अंततः कथन है कि आवेदक धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत् निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं, अतः इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए। बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि सह–अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2763/24 पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा खारिज है जिसमें कांड–दैनिकी संलग्न है, इसलिए प्रार्थना है कि अंतिम आदेश पारित कर दिया जाए। 03. विद्वान् अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित हैं, उनपर सीधा आरोप है और सह–अभियुक्तों का अग्रिम जमानत इसी न्यायालय द्वारा खारिज है, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाए। 04. उभय पक्षों को सुना एवं इसी प्राथमिकी से संबंधित सह–अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2763/24 के अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक मृत्युंजय कुमार यादव के लिखित आवेदन के अनुसार, अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 17.09.2024 को समय करीब 12:00 बजे रात्रि में सूचक के गाँव के विश्वकर्मा मंदिर के पास गान–बजान हो रहा था। सूचक इस गान–बजान को देखने के लिए अपने गाँव के अवधेश यादव के साथ मेला देखकर अपने घर जा रहे थे कि जैसे ही अपने गाँव के देवी स्थान के पास पहुंचे तो अभिषेक कुमार (आवेदक), आकाश कुमार, उत्तम कुमार, सुबोध कुमार, धर्मराज कुमार तथा अन्य 10 व्यक्ति ने सूचक का रास्ता रोक लिया और गाली–गलौज करने लगा। सूचक द्वारा विरोध करने पर अभिषेक कुमार अपने हाथ में लिए खंती से जान मारने की नियत से सूचक के ललाट पर मार दिया जिससे सूचक का ललाट फट गया तथा वे जख्मी हो गए। उत्तम कुमार अपने हाथ में लिए लोहे के रड से सूचक के बाएं हाथ पर मार दिया जिससे बाएं हाथ का उंगली फट गया और	

लगातार..... 21.01.2025	सभी मिलकर लाठी–पैना से ताबातोड़ मारपीट करने लगे जिससे सूचक बुरी तरह जख्मी हो गए। जब सूचक का दोस्त अवधेश यादव बचाने लगा तो सभी व्यक्ति मिलकर खंती, रड–लाठी से ताबतोड़ मारपीट करने लगे जिससे अवधेश यादव का माथा बुरी तरह से फट गया और पीठ एवं हाथ पर मारा जिससे काफी जख्मी एवं अधमरा हो गया। हल्ला पर ग्रामीण आये तो सभी अभियुक्त जान मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उक्त व्यक्ति काफी मनबढ़ू किस्म का है तथा सूचक के साथ हमेशा मारपीट करते रहता है। 05. काण्ड–दैनिकी के कंडिका 02 में वादी ने अपने पुनर्बयान में तथा कंडिका 05 एवं 06 में साक्षी प्रदीप यादव एवं संजय कुमार ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 22 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संलग्न जख्म प्रतिवेदन के अनुसार सूचक के सिर पर चोट पाया गया है जो साधारण प्रकृत्ति का है परंतु जख्मी अवधेश कुमार यादव के सिर पर छः ईंच लम्बा जख्म है जो गंभीर प्रकृत्ति है। जख्मी अवधेश कुमार के सिर के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट निम्न है :– "**Fracture of left parietal bone the fracture line is extending to the squamous part of left temporal bone.**" उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जख्मी के सिर में फ्रैक्चर पाया गया है जो शरीर का नाजूक हिस्सा है और यह अभियोजन के द्वारा लगाये गये आरोपों को बल प्रदान करता है। 06. आवेदक पर खंती से सूचक पर प्रहार करने का सीधा आरोप है तथा सभी साक्षियों ने स्पष्ट कहा है कि सभी अभियुक्तगण मिलकर लाठी, रड व खंती से जख्मी अवधेश कुमार को ताबड़तोड़ मारे जिससे उसका सिर फट गया और उपरोक्त सी0टी0 स्कैन का रिपोर्ट भी अभियोजन के कथन का समर्थन करता है जिससे स्पष्ट होता है कि सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर सूचक और जख्मी को शरीर के नाजूक हिस्से पर प्रहार किया है जो उनकी जान लेने की मंशा को साफ दिखाता है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट करने का सीधा आरोप है और वाद अभी अनुसंधानरत है। वाद के सह–अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2763 / 24 इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज है और आवेदक पर खंती से प्रहार करने का सीधा आरोप है। 07. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे का रड, खंती से प्रहार करने का सीधा आरोप होना, जख्मी के सी0टी0 स्कैन के रिपोर्ट के अनुसार उनके सिर पर फ्रैक्चर पाया जाना, सह–अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होना तथा वाद अनुसंधानरत रहने के आलोक में यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक **अभिषेक कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायहित में **खारिज** किया जाता है। 08. कार्यालय इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय में अविलम्ब भेजें। (लेखापित) (आशुतोष खेतान) अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, नवादा।	